

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


गु.नं. 38/17 तारीख बज् 9.5-17

उगवान - पं कज बजाम कैलाश के.के. बैरवा
अनतपुरा

दाका बाबत स्थायी निषेधाज्ञा घोषणा खोतदारी

वादी की ओर से श्री मनोजकुमार शर्मा Adv. ने दाका
बाबत घोषणा खोतदारी व स्थायी निषेधाज्ञा पेश
किया। प्रस्तुत शपथ पत्र बजाम बन्दी का अयलोकन
किया गया। दाका दर्ज व रजिस्टर कर प्रतिकारी जाण
को आरिथे सम्भज से तलब कर दिनांक 15.7.17
को पेश हो।

1585-159/
9.5-17


उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)

14.7.17

वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 1, 3, 5 स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी 2, 4, 6, 7 अपजूरद स्तुपना उप. नही उनके खिलाफ
एक पक्षीप कार्रवाही की जाती है पेश करने जखब दि. 18.7.17 को पेश हो।


/


कैलाश चंद


श्री मन्वेंद्र

18.7.17

वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 1, 3, 5 की ओर से श्री
धुरेश चंद शर्मा Adv. ने उपस्थित दर्ज कार्ड / पेश
कने अकालतनामा व जखब दि. 1.8.17 को पेश हो।


10 मन्वेंद्र


1, 3, 5


जगदीश आर्य
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम

